न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 99/2006 तारीख रजू:– 22.07.2006

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	सुमेरसिंह	पिसरान रामस्वरूप, जाति जाट
2.	रतनसिंह	निवासी चिनायटा तहसील हिण्डौनसिटी
3.	विशम्भरदास	जिला करौली राजस्थान————————————सायलान

बनाम

1. किशोर पुत्र नारायण जाति जाट निवासी चिनायटा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

2.	ओमप्रकाश	पिसरान खेमचन्द जाति ब्राह्मण
3.	रामनिवास	निवासी बमनपुरा तहसील हिण्डौन सिटी
4.	रामअवतार	जिला करौली राजस्थान

5. मु0 लीलावती पुत्री खेमचन्द पत्नि रविन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी सौंद की तहसील महुआ जिला दौसा राजस्थान

6. मु0 सुनीता पुत्री खेमचन्द पत्नि यादराम जाति ब्राह्मण निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

7. मु0 गीता पुत्री खेमचन्द पत्नि गजानंद जाति ब्राह्मण निवासी कांचरोली तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राजस्थान

8.	दामो	पिसरान
9.	घीसोली	रामहंस
10.	रामाधार	पिसरान
11.	महादेवा	भूरीसिंह
12.	बाबू	पिसरान भगवत जाति जाट निवासी चिनायटा
13.	मुन्शी	तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राजस्थान

14. भम्बल पुत्र रतनलाल जाति खाती निवासी खातीपुरा तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

15.	बदरी पुत्र बिरजू		जाति जाट निवासी चिनायटा
16.	श्रीलाल	पिसरान	तहसील हिण्डौन सिटी
17.	प्रभू	मदन	जिला करौली राजस्थान
18.	जगनलाल		

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

19.	प्रकाश	पिसरान	
20.	बलवीर	गणेशी	
21.	गया पुत्र खरगी		
22.	हीरालाल	पिसरान	जाति जाट निवासी चिनायटा
23.	प्रेमसिंह	सिकन्दर	
24.	देशराज		
25.	केदार	पिसरान	
26.	चन्दर	मोतीलाल	तहसील हिण्डौनसिटी
27.	भरोसी	पिसरान	
28.	रतन	सम्पत	
29.	पिन्डू	पिसरान	
30.	घन्टोली	रघुवीर	जिला करौली राजस्थान
31.	जगदीश		
32.	सुआ	पिसरान	
33.	मुकेश	मोतीलाल	
34.	मु0 मल्ली पुत्री मोतीलाल		
35.	मु0 असरफी पुत्री कल्याण		
36.	मु0 चिरोंजी बेवा मोतीलाल		
37.	कल्याण उर्फ कल्लन पुत्र भंवर		
38.	इमरत पुत्र रघुवीर		———————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—1.श्री अशोक नीमनका एवं श्री एस एल चौधरी एडवोकेट सायलान

2. श्री संजय शर्मा एडवोकेट गैरसायल सं01,8,9,12,13,20 ता 33,37,38

निर्णय दिनांक :—

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने इस सम्मानीय अदालत में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवान का वाद पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजी ख0नं0 14 रकवा 38 ऐअर, ख0नं0 607 रकवा 5 ऐअर, ख0नं0 618 रकवा 10 ऐअर, ख0नं0 718 रकवा 40 ऐअर, किता 4 रकवा 93 ऐअर स्थित ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन है। जिसका रेवन्यू रिकोर्ड सायलान बहिस्सा 1/4, गैरसायल नं0 12 व 13 बहिस्सा 1/4, व गैरसायल नं0 1 बहिस्सा 1/2 दर्ज है। ख0नं0 14 साविक ख0नं0 7 रकवा 1 बीघा 8 बिस्वा से बना है। जिसका सम्बत 1990 ता 1999 दस साला में खसरा नम्बर 11 रहा है। जो सायलान के पूर्वजों की खातेदारी में रही है, और इसी प्रकार आराजी ख0नं0 607 व 618 जिसका साविक ख0नं0 646 रहा है, और दस साला में ख0 नं0 259 रहा है, तथा ख0नं0 718 का साविक खसरा नम्बर 466 जिसका 10 साला में ख0नं0 854 रहा है। जिसका 10 साला का रेवन्यू रिकोर्ड सायलान के बाबा श्री आराम के नाम रहा है मगर गैरसायलान ने कालांतर में रेवन्यू कर्मचारियों से साज कर रेवन्यू रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। मगर आराजीयात विवादग्रस्त पर कब्जा काश्त 10 साला सम्बत 1984 से 1990–1999 तथा आज तक सायलान का है। जो साविक व मौजूदा रिकोर्ड व खसरा गिरदावरी से भली प्रकार साबित है। इसलिये सायलान अपने नाम तन्हा खातेदारी करवाने के मुश्तहक है। खाता सं0 355 के मौजूदा खसरा नम्बरान 679 रकवा 07 ऐअर, ख0नं0 680 रकवा 7 ऐअर पर सायलान काबिज नहीं है। जिस पर गैरसायल नं0 12 व 13 काबिज है। गैरसायल 01 का आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि आराजी खाता संख्या 31 के खसरा नम्बर 531 रकवा 1.05 हैक्टर स्थित ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकोर्ड गैरसायल नं0 1 के नाम है, तथा साबिक खसरा नम्बर 586 रकवा 4 बीघा 4 बिस्वा रहा है, और इस खसरा नम्बर का 10 साला में खसरा नम्बर 326 रहा है। और सायलान के बाबा आराम की खातेदारी में रहा है। जिस पर हमेशा से सायलान जमाने बुजुर्गान से काबिज है। अपने नाम खातेदारी करवाने के मुश्तहक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 250 रकवा 69 ऐअर स्थित ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकोर्ड गैरसायल नं0 2 ता 7 के नाम है। जिसका साविक खसरा नम्बर 146 रहा है। तथा 10 साला का खसरा नम्बर 142 रहा है, ओर सायलान के पूर्वजों की खातेदारी व कब्जे काश्त में रहा है और वह क्रम आज भी बदस्तूर है। जो मौजूदा कब्जा काश्त साविक व जमाबंदी व गिरदावरी आदि से भली प्रकार साबित है।मगर रेवन्यू विभाग की गलती से गैरसायलान नं0 2 ता 7 के बुजुर्गों के नाम हो गया था। जिसकी खातेदारी बहक सायलान करवाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 259 रकवा 31 ऐअर स्थित ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन है। जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकोर्ड गैरसायल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नं0 12 व 13 के नाम हो गया है। जिसका साविक खसरा नम्बर 146/837 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा रहा है और इस खसरा नम्बर का 142 रहा है जिस पर हमेशा से सायलान का कब्जा काश्त रहा है, और सायलान के बुजुर्गान की खातेदारी व कब्जा काश्त में रहा है। जिसकी खातेदारी सायलान अपने नाम करवाने के मुश्तहक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 998/1795 रकवा 11 ऐअर जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकोर्ड गैरसायलान नं0 14 के नाम है, तथा साविक खसरा नम्बर 205 रहा है जो हमेशा से सायलान व उनके पूर्वजों की खातेदारी व कब्जे काश्त का रहा है। जो गलती से गैरसायल नं0 14 के नाम रेवन्यू रिकोर्ड में दर्ज हो गया है। जिस पर सायलान का एडवर्स पजेशन व लोंग टर्मस पजेशन खसरा गिरदावरी व साविक रिकोर्ड से भी भली प्रकार साबित है। और सायलान अपने नाम खातेदारी करवाने के मुश्तहक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 890 रकवा 95 ऐअर जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकोर्ड सायलान बहिस्सा 1/4, गैरसायलान नं0 12 व 13 बहिस्सा 1/4, तथा गैरसायल नं0 1 बहिस्सा 1/2 दर्ज है, जो गलत है मौके पर आराजी विवादग्रस्त पर तन्हा सायलान का जमाने बुजुर्गान से कब्जा काश्त रहा है उक्त आराजी का साविक खसरा नम्बर 439 रहा है, तथा 10 साला सम्बत 2000 से पूर्व का खसरा नम्बर 185 रहा है। जो सायलान के बाबा मृतक आराम के नाम था, उसी समय से सायलान आराजी पर काबिज है। गैरसायल नं0 1 व गैरसायलान नं0 12 व 13 के नाम खातेदारी में गलज दर्ज कर दिये है। जिन्हे हजफ फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। एवं सायलान के नाम खातेदारी इन्द्राज फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि आराजी ख0 नं0 21 रकवा 8 ऐअर, ख0नं0 28 रकवा 21 ऐअर कुल किता 2 कुल रकवा 29 ऐअर स्थित ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन मौजूदा रेवन्यू रिकोर्ड सायलान बहिस्सा 1/4(चार आना) गैरसायलान नं0 12 व 13 बहिस्सा 1/4(चार आना) गैरसायल नं0 21 व उसकी मां (मृतक) हिस्सा 1/8 (दो आना) गैरसायल नं0 8 ता 11 बहिस्सा (दो आना) जो मृतक बल्लू के भी वारिस है। गैरसायल नं0 22 व 23 जो मृतक गज्जा के भी वारिस है बहिस्सा 1/8 (दो आना) गैरसायल नं0 24 ता 26 जो मृतक रेतीलाल के भी वारिस है। बहिस्सा 1/8 (दो आना) दर्ज है। जिनका साविक खसरा 12 मौजूदा खसरा नम्बर 21 का तथा साविक खसरा नम्बर 18 मौजूदा ख0नं0 19 का रहा है। जिनकी समस्त रेवन्यू रिकोर्ड 10 साला खसरा गिरदावरी सायलान के पूर्वजों के नाम रही है। इसलिये सायलान ही मौके पर काबिज एवम् दखील है। इसलिये सायलान तन्हा अपने नाम खातेदारी तब्दील करवाने के हकदार है। गैरसायलान का रेवन्यू रिकोर्ड में गलत नाम दर्ज किया है। जिसे हजफ फरमाया जाना आवश्यक एवम् न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि आराजी ख0नं0 91 रकबा 26 ऐअर स्थित ग्राम चिनायटा जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकोर्ड सायलान बहिस्सा 1/4, गैरसायलान नं0 12 व 13 बहिस्सा 1/4, तथा गैरसायल नं0 16 बहिस्सा 1/2 दर्ज है, जो गलत है। उक्त आराजी का साविक ख0नं0 69 रकवा 1 बीघा 4 बिस्वा रहा है। तथा दस साला का खसरा नम्बर 59 रहा है। जो तन्हा सायलान के बुजुर्गान के नाम था और सायलान की आराजी पर काबिज एवं दखील जमाने बुजुर्गान से है। इसलिये गैरसायलान का नाम हजफ फरमाया जाकर तन्हा सायलान के नाम खातेदारी कायम किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 322 रकबा 41 ऐअर स्थित ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन जिसका साविक खसरा नम्बर 448 रकवा 1 बीघा 16 बिस्वा रहा है। तथा दस साला का खसरा नम्बर 184 रहा है। जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकोर्ड गया पुत्र खरगी खातेदार, शांति के स्वर्गवास हो चुका है। खातेदार बल्लू पुत्र रूग्धी का स्वर्गवास हो गया है, उनके वारिसान दामों, घीसोला पुत्र रामहंस, रामाधार, महादेवा, पिसरान भूरीसिंह है। मृतक गज्जा फोत हो गया है जिसके वारिस हीरा, प्रेमसिंह, पिसरान सिकन्दर है, तथा देशराज, सुआलाल, केदार, चंदर, मुकेश पिसरान मोतीलाल है। मुस0 मन्ती, असरफी, मु0 चिरोंजी खातेदार जो रेतीलाल के भी वारिस है जो गलत है। उक्त खातेदारान का उक्त खसरा नम्बर से कोई सम्बन्ध नहीं है।बल्कि उक्त खसरा नम्बरान पर सायलान हमेशा से काबिज हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 550 रकवा 15 ऐअर, खसरा नम्बर 567 रकवा 13 ऐअर, ख0नं0 568 रकवा 9 ऐअर कुल किता 3 कुल रकवा 37 ऐअर स्थित ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन है। जिनका साविक खसरा नम्बर 612 रकवा 1 बीघा 6 बिस्वा रहा है। और दस साला का खसरा नम्बर 339 रहा है जो सायलान के बुजुर्गान के नाम रहा है, और सायलान ही उक्त आराजी पर बजमाने बुजुर्गान से काबिज एवं दखील है जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकोर्ड गलत तैयार किया है जिसे दुरूस्त फरमाया जाकर सायलान के नाम खातेदारी तब्दील फरमाया जाना आवश्यक एवम् न्याय संगत है। उक्त खसरा नम्बरान की मौजूदा रिकोर्ड में खातेदारी सायलान नं0 1 व 2 बहिस्सा 5/108 सायल सं0 3 बहिस्सा 1/108, गैरसायल नं0 21 बहिस्सा 1/18, खातेदार शांति बेवा खरगी का स्वर्गवास हो गया है। गैरसायल नं0 8 लगायत 11 बहिस्सा 1/36 खातेदार कल्लू की मृत्यु हो गयी है उसके वारिसान भी गैरसायल नं0 8 ता 11, गैरसायल नम्बर 22 व 23 बहिस्सा 1/36 मृतक गज्जा के भी ये ही वारिस है। गैरसायल नम्बर 24 लगायत 26 व गैरसायल नम्बर 31 लगायत 36 बहिस्सा 1/36, मृतक रेतीलाल के ही वारिस है। गैरसायल नं0 27 व 28 मृतक रूमा के ये ही वारिस है। गैरसायल नं0 29 व 30 तथा गैरसायल नं0 38 बहिस्सा 1/3 तथा गैरसायल नं0 37 बहिस्सा 1/3 दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 533/1794 रकवा 20 ऐअर जिसका साविक खसरा नम्बर 585 एवं 10 साला का रिकोर्ड ख0नं0 17 रहा है। मगर इस जमीन पर सायलान बिगत 50 सों साल से काबिज है। क्योंकि वास्तव में यह जमीन 10 साला के खसरा नम्बर 329 से बना है जिसका साविक खसरा नम्बर 585 गलत ड़ाल दिया है। और जमीन सिवायचक सरकारी दर्ज कर दी है। जो सायलान के पूर्वजों के खातेदारी में रही है तथा हमेशा से कब्जा काश्त रहा है। इसलिये साविक व मौजूदा रिकोर्ड गलत दर्ज कर दिया है इसलिये सायलान उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। और खातेदारी इन्द्राज दर्ज करवाने का हकदार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 13 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं0 2 लगायत 12 प्रार्थना पत्र को सायलान बजमाने बुजुर्गान से काश्त करते चले आ रहे है। जो उन्हें विरासत के आधार पर बाबा मृतक आराम से प्राप्त हुयी है। परिवार का सजरा निम्न प्रकार रहा है :–

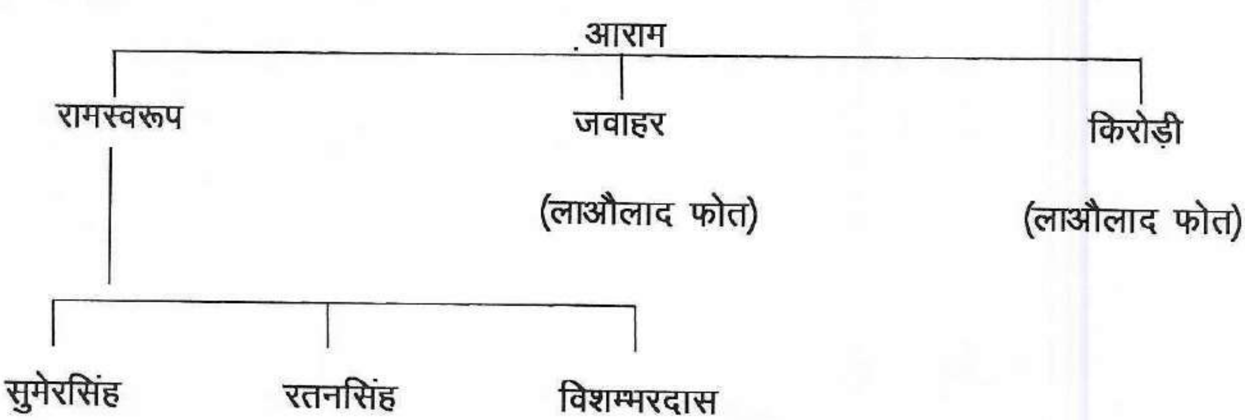

प्रार्थना पत्र के मद नं0 14 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं0 2 लगायत 11 प्रार्थना–पत्र पर तन्हा सायलान काबिज होना 10 साला के रिकोर्ड जमाबंदी 20 साल के रिकोर्ड गिरदावरी एवं अन्य सभी दस्तावेजात भली प्रकार काबिज है। इसलिये सायलान बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 15 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 13.05.2006 को सुबह 7 बजे का है कि सायलान ने गैरसायलान नं0 1 व अन्य सहखातेदारान को एकत्रित कर आराजीयात वर्णित मद नं0 2 लगायत 12 प्रार्थना पत्र की खातेदारी सायलान के नाम करवाने बाबत कहा, तो गैरसायलान नाराज हुये और उन्होंने साफ इन्कार करते हुये यह कहा कि अब तक तो 2–4 लोगों ने ही जमीनें गिरवी रखी है। अब हम सब तुम्हारे कब्जे वाली सहखातेदारी की जमीनों को बैंक आदि में गिरवी रख देंगे। और तुम्हें जमीनों से बेदखल करके रहेगें। इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी भी पूरी नहीं हो सकेगी।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं0 16 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 17 में दर्ज किया है कि इस प्रकार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा से इस अम्र के लिए ताफैंसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान खसरा नम्बर 14, 607, 618, 718, 531, 250, 259, 998/1795, 990, 21, 28, 91, 522, 550, 567, 568, 533 किता 11 रकबा 5.57 है0 स्थित ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन में सायलान के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें। सायलान को बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करें, रहन वय नहीं करें। सायलान को आराजी को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 03.10.2006 को गैरसायल सं01,8,9,12,13,20 ता 33,37,38 की ओर से श्री कन्हैयालाल शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 29.03.2007 को गैरसायल सं0 2,3,4,7,11,17,20,34,36 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 18.09.2007 को गैरसायल सं0 5,6,35 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये तथा गैरसायल सं0 18 के वारिसान की ओर से श्री सरदीलाल चौधरी एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। दिनांक 23.04.2010 को गैरसायल सं0 12 बाबू के कायम मुकामान शेरसिंह, केशव, माया असालतन उपस्थित आये। दिनांक 11.05.2010 को गैरसायल सं0 12 बाबू के कायम मुकामान 12/1, 12/2, 12/5 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 21.05.2012 को गैरसायल सं0 14,19,20,30 की प्रोपर तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए तथा इनके विरूद्ध दिनांक 22.08.2019 को एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 28.07.2025 को गैरसायल सं0 10,15,16 की पूर्व में ही तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

दिनांक 16.04.2007 को गैरसायलान किशोर, बाबू, मुंशी, दामो, घीसोली, रामाधार, भूरीसिंह, बदरी, श्रीलाल, गया, हीरालाल, प्रेमसिंह, देशराज, केदार, चन्दर, भरोसी,रतन, पिन्टू, जगदीश, सुआ, मुकेश, मल्ली, अशरफी, चिरोंजी, घन्टोली, रमण, इमरत, कल्लन की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर जबाव प्रार्थनापत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के खिलाफ उक्त उनवानी दावा कतई गलत तथा खिलाफ कानून पेश किया है, जिसमें सायलान कामयाब नहीं हो सकते है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नं0 2 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 14, 607, 618, 718 में से सायलान का 1/4 हिस्सा नहीं है, ना ही सायलान का किसी भी हिस्से पर कब्जा है। ख0नं0 14 तन्हा गैरसायल किशोर के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। ख0 नं0 607 तथा 718 गैरसायल नं0 12, 13 बाबू, मुंशी की कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है एवं ख0नं0 618 का 1/2 भाग गैरसायलान किशोर के कब्जा काश्त की भूमि है। विवादित भूमि का कोई भी हिस्सा सायलान के बुजुर्गों की खातेदारी में कभी नहीं रहा। राजस्व रिकोर्ड रेवन्यू अधिकारीगण ने सही भरा है। खाता संख्या 355 के मौजूदा खसरा नम्बर 679, 680 पर गैरसायलान नंबर 12, 13 बाबू, मुंशी बहैसीयत खातेदार काश्तकार काबिज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। खाता संख्या 31 का खसरा नंबर 531 तन्हा गैरसायल नंबर 1 किशोर की कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। यह भूमि कभी भी सायलान के बुजुर्गों के कब्जा काश्त में नहीं रही है। राजस्व रिकार्ड बिल्कुल सही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 4 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 250 कभी भी सायलान के बुजुर्गों के कब्जा काश्त में नहीं रही बल्कि गैरसायल नं0 2 ता 7 के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। मौजूदा राजस्व रिकार्ड सही बनाया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 259 कभी भी सायलान के बुजुर्गान की कब्जा काश्त में नहीं रहा है बल्कि हमेशा से गैरसायल नम्बर 12, 13 मुंशी, बाबू के कब्जा काश्त की भूमि रही है। इस पर सायलान का कोई कब्जा नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। आराजी ख0नं0 998/1795 रकवा 11 ऐअर गैरसायल नं0 12, 13 एवं गैरसायल नं0 1 के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है जिससे सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है और ना ही सायलान का कोई कब्जा किसी प्रकार का है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 7 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 890 से सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। बल्कि गैरसायल नंबर 1 एवं गैरसायल नंबर 12, 13 के कब्जा काश्त की भूमि है। मौजूदा राजस्व रिकार्ड सही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 8 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 21 तथा 28 से सायलान का काई संबंध किसी प्रकार का नहीं है, ना ही सायलान का कब्जा है। बल्कि गैरसायल नंबर 21 ता 26 के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है इससे सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है ना ही सायलान का कब्जा है। मौजूदा राजस्व रिकार्ड सही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 9 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। ख0 नं0 91 का 1/2 भाग गैरसायल नंबर 12, 13 बाबू मुंशी तथा 1/2 भाग श्रीलाल का है। इससे सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। यह भूमि कभी भी सायलान के बुजुर्गों के नाम नहीं रही।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 10 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 332 से सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है ना ही सायलान का कब्जा है। बल्कि खसरा नंबर 322 गैरसायल नंबर 21 ता 26 एवं गैरसायल नंबर 12, 13 की कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। मौके पर बाबू मुंशी ही काश्त कर रहे है। इससे सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। ना ही सायलान का कब्जा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 11 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 550, 567, 568 से सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है, ना ही सायलान का कब्जा काश्त है। मौजूदा राजस्व रिकार्ड राजस्व अधिकारीगण ने सही कायम किया है और मौजूदा राजस्व रिकार्ड राजस्व अधिकारीगण ने सही कायम किया है। इस भूमि में सायलान का कोई हिस्सा किसी प्रकार का नहीं है, ना ही सायलान का कब्जा है बल्कि मुताबिक मौजूदा राजस्व रिकार्ड गैरसायलान ही काबिज है। यह भूमि कभी भी सायलान के बुजुर्गों की खातेदारी में नहीं रही, ना ही सायलान के बुजुर्गों का कब्जा रहा।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 12 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। खसरा नंबर 533/1794 कभी भी सायलान के बुजुर्गों की खातेदारी में नहीं रही। सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नही रही बल्कि मौजूदा राजस्व रिकार्ड रेवन्यू अधिकारीगण ने सही कायम किया है। सरकारी भूमि है। सरकारी सिवायचक है। जिससे सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 13 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 13 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। दरख्वास्त के मद नम्बर 2 लगायत 12 में दर्ज कृषि भूमियों से सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। सजरा खानदान कतई गलत दर्ज किया है। किरोडी लाऔलाद फोत नहीं हुआ बल्कि उसकी लडकी दुलारी किराडी के तर्के पर काबिज है लेकिन सायलान ने बदयान्तीपूर्वक दुलारी को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए दावा तथा दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा इसी कानूनी बिन्दू पर खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 14 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 14 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। दरख्वास्त के मद नम्बर 2 लगायत 12 में दर्ज कृषि भूमियों की खातेदारी सायलान को अपने हक में करा पाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि विवादित भूमि में वादीगण का कोई हिस्सा किसी प्रकार का नहीं है और ना ही सायलान का कोई कब्जा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 15 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 15 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। विवादित भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 2 लगायत 12 पर सायलान का कोई कब्जा ही नही है तो दिनांक 13.06.2006 को गैरसायलान द्वारा सायलान को किसी भी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दरख्वास्त के मद नम्बर 15 में दर्ज समस्त तथ्य कतई गलत है। दावा तथा दरख्वास्त अस्थायी निषेधाज्ञा कतई गलत दायर किया गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 16 में दर्ज किया है कि दरख्वास्त का मद नम्बर 16, 17 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादीगण/सायलान किसी भी दादरसी को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उपरोक्त वर्णित मदों के अनुसार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन तथा अतुल्य क्षति का सिद्धान्त कतई गलत साबित नहीं है, बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः जबाव दर0 पेश कर निवेदन किया है कि दर0 अस्थायी निषेधाज्ञा सायलान मय खर्चा खारिज की जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059-2062 किता 12, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2000-2019, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल किता 2, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस सम्बत 1983 किता 5, नकल खतौनी बन्दोवस्त सं0 2000 से 2019, फोटो प्रति नकल खसरा परिवर्तनशील सम्बत 2053, फोटो प्रति नकल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

परिवर्तनशील संबत 2058, फोटो प्रति नकल खसरा परिवर्तनशील संख्या 2052, फोटो प्रति नकल शपथ पत्र रतन पुत्र स्वरूप जाति जाट निवासी चिनायटा तहसील हिण्डौन, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल किता 2, फोटो प्रति नकल खसरा परिवर्तनशील सं0 2051, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059 से 2062 किता 4, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2055–58, फोटो प्रति नकल खतौनी बन्दोबस्त सं0 2000 से 2019 तक किता 4, फोटो प्रति नकल मिसल हकियत बन्दोबस्त सं0 1984, फोटो प्रति नकल रजिस्टर चकबन्दी मौजा चिनायटा तहसील हिण्डौन सं0 1994 से 1999 पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता 11 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059– 2062 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 531 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी किशोर पुत्र नारायण जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059– 2062 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 250 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी खेमचन्द, लट्टे भगवत पि0 धुरसे जाति ब्राहम्ण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 322 दिनांक 07.03.2005 के द्वारा मृतक खेमचन्द हि0 1/3 के बजाय ओमप्रकाश रामनिवास रामअवतार पि0 खेमचन्द लीलावती सुशीला गीता पुत्रियॉ खेमचन्द के नाम हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059– 2062 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 259 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी बाबू, मुंशी पि0 भगवत जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हिण्डौन मुर्तहिन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059– 2062 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 998/1795 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी भम्बल पुत्र रतनलाल जाति खाती सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059– 2062 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 998 रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुमेरसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/24, रतनसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/24, विशम्बरदास पुत्र स्वरूप हि0 1/12 दर हिस्सा 1/2, रामदयाल परभाती रामकुमार पि0 हेतीराम व श्यामसिंह पुत्र छोटेसिंह हि0 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059– 2062 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 890 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुमेरसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48, रतनसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48, विशम्बरदास पुत्र स्वरूप हि0 1/24 दर हिस्सा 1/4, मुंशी पुत्र भगवत हि0 1/4, किशोर पुत्र नारायण हि0 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059– 2062 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 0.38 है0, 607 रकबा 0.05 है0, 618 रकबा 0.10 है0, 679 रकबा 0.07 है0, 680 रकबा 0.07 है0, 718 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुमेरसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48, रतनसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48, विशम्बरदास पुत्र स्वरूप हि0 1/24 दर हिस्सा 1/4, बाबू मुंशी पुत्र भगवत हि0 1/4, किशोर पुत्र नारायण हि0 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059– 2062 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 533 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुमेरसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48, रतनसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48, विशम्बरदास पुत्र स्वरूप हि0 1/24 दर हिस्सा 1/4, रोशन रमेश प्रकाश वलवीर पि0 गणेशी हि0 1/4, खरगी पुत्र वादाम व रजनकौर बेबा ठाकुरिया तीन आना हि0 1/4, वल्लू पुत्र रूग्घी घीसोली दामो पि0 रामहंस रामाधार महादेवा पि0 भूरीसिंह हि01/4, हीरालाल प्रेसिंह पि0 सिकन्दर हि0 1/8, गज्जा पुत्र गोकल हि0 1/8, देशराज केदार सुवालाल चन्दर किशोर पुत्र नारायण हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2000–2019 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 12 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी आराम बल्द बनसी भगमन बल्द रामपरसाह हि0बराबर हि0 आठ आना, बादाम दुंधी गोकल कल्याण पिसरान सोनपाल हि0 बराबर हि0 आठ आना अकबाम जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान ने नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं :–

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
12	6 बिस्वा	21	0.08

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

69	1 बीघा 4 बिस्वा	91	0.26
146/837 मिन	1 बीघा 10 बिस्वा	259	0.31
205	8 बिस्वा	998/1795	0.11
439	3 बीघा 19 बिस्वा	890	0.95
466	1 बीघा 4 बिस्वा	718	0.40
585 मिन	—	533/1794	0.20
612 मिन	1 बीघा 6 बिस्वा	550 567 568	0.15 0.13 0.09
646 मिन	10 बिस्वा	607 618	0.05 0.10

फोटो प्रति नकल खसरा परिवर्तनशील सम्बत 2053 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 533/1794 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन पर सुमेरसिंह रतनसिंह पि0 स्वरूप जाति जाट के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की है।

फोटो प्रति नकल खसरा परिवर्तनशील सम्बत 2058, 2059, 2060 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 533/1794 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन पर सुमेरसिंह रतनसिंह पि0 स्वरूप जाति जाट के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की है।

फोटो प्रति नकल खसरा परिवर्तनशील संख्या 2052 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 533/1794 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन पर सुमेरसिंह रतनसिंह पि0 स्वरूप जाति जाट के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की है।

फोटो प्रति नकल शपथ पत्र रतन पुत्र स्वरूप जाति जाट निवासी चिनायटा तहसील हिण्डौन ने अंकित किया है कि सम्बत 2050 में वर्षा नहीं होने के कारण बुबाई नहीं हो सकी। खसरा नम्बर 533/1794 पर मेरा हमेशा से कब्जा है।

फोटो प्रति नकल खसरा परिवर्तनशील सं0 2051, 2052, 2053, 2054, 2055 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 533/1794 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन पर सुमेरसिंह रतनसिंह पि0 स्वरूप जाति जाट के द्वारा बाजरा की फसल काश्त की है एवं सम्बत् 2057 में जौ की फसल काश्त की है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059 से 2062 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 550 रकबा 0.15 है0, 567 रकबा 0.13 है0, 568 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.37 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुमेरसिंह रतनसिंह विशम्बरदार पि0 स्वरूप हि0 1/36, सुमेर रतन पि0 रामस्वरूप हि0 1/36, गया पुत्र खरगी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

मु0 शान्ती बेबा खरगी हि0 1/36, बल्लू पुत्र रूग्घी घीसोली दामो पि0 रामहंस रामाधार महादेवा पि0 भूरीसिंह हि0 1/36, देशराज केदार सुवालाल चन्दर मुकेश पि0 मोतीलाल हिस्सा बराबर व रेतीलाल पुत्र कल्याण हि0 1/36, कल्याण पि. भंवर हि0 1/3, भरोसी रतन पि0 सम्पत रघुपत पुत्र गैंदा हि0ब0 पिण्डु घन्टोली जगदीश इमरत पि0 रघुवीर हि0 1/3 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 339 –विरासत दिनांक 26.01.2006 के द्वारा रेवतीलाल के बजाय देशराज केदार सुवालाल चन्दर मुकेश पि0 मोतीलाल चिरौंजी बेबा मोतीलाल अशरफी पुत्री कल्याण के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059 से 2062 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.08 है0, 28 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुमेरसिंह रतनसिंह विशम्बरदार पि0 स्वरूप सुमेरसिंह रतनसिंह पि0 रामस्वरूप बाबू मुंशी पि0 भगवत हिस्सा बराबर हि0 आठ आना, गया पुत्र खरगी मु0 शान्ती बेबा खरगी हि0 दो आना, बल्लू पुत्र रूग्घी घीसोली दामो पि0 रामहंस रामाधार महादेवा पि0 भूरीसिंह हि0 दो आना, गज्जा सिकन्दर पि0 गोकल हि0 दो आना, रेतीलाल पुत्र कल्याण देशराज केदार सुवालाल चन्दर मुकेश पि0 मोतीलाल हिस्सा बराबर दर हिस्सा 2 आना, जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 339 –विरासत दिनांक 26.01.2006 के द्वारा रेवतीलाल के बजाय देशराज केदार सुवालाल चन्दर मुकेश पि0 मोतीलाल चिरौंजी बेबा मोतीलाल अशरफी पुत्री कल्याण के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059 से 2062 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुमेरसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48, रतनसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48, विशम्बरदास पुत्र स्वरूप हि0 1/24 दर हिस्सा 1/4, बाबू मुंशी पुत्र भगवत हि0 1/4, श्रीलाल पुत्र मदन हि0 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2055 से 2058 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 250 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी खेमचन्द लट्टे भगवत पि0 धुर्से जाति ब्राहम्ण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2055 से 2058 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 890 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुमेरसिंह रतनसिंह विशम्बरदार पि0 स्वरूप हि0 1/8, सुमेरसिंह रतनसिंह पि0 रामस्वरूप हि01/8, बाबू मुंशी पि0 भगवत हि0 1/4, किशोर पुत्र नारायण हि0 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति नकल खतौनी बन्दोबस्त सं0 2000 से 2019 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी आराम बल्द बनसी भगमत बल्द रामपरसादी बहिस्सा बराबर अकबाम जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खतौनी बन्दोबस्त सं0 2000 से 2019 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी आराम बल्द बनसी भगमत बल्द रामपरसादी बहिस्सा बराबर अकबाम जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खतौनी बन्दोबस्त सं0 2000 से 2019 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 439 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 466 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 646 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी आराम बल्द बनसी भगमन बल्द रामपरसादी बहिस्सा बराबर अकबाम जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल रजिस्टर चकबन्दी मौजा चिनायटा तहसील हिण्डौन सं0 1994 से 1999 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 339 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी आराम बल्द बनसी हिस्सा आठ आना, दूधी गोकल कल्याण पि0 सोनपाल बहिस्सा बराबर हिस्सा आठ आना अकबाम जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल रजिस्टर चकबन्दी मौजा चिनायटा तहसील हिण्डौन सं0 1994 से 1999 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 59 रकब 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी किशोर बल्द नारायन आराम बल्द बनसी बहिस्सा बराबर कौम जाट सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल रजिस्टर चकबन्दी मौजा चिनायटा तहसील हिण्डौन सं0 1994 से 1999 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 17 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, 142/4 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, 142/5 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 184/1 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, 185/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 185/4 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 185/12 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा, वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी मदन बल्ल फेले कंचन बल्द फेले बहिस्सा बराबर जोरावर बल्द गैगे व मोहरसिंह बल्द खोकल बहिस्सा बराबर भजन बल्द मुख्खे गैंदा बल्द हरबक्स बहिस्सा बराबर आराम बल्द बनसी मोहरसिंह बल्द कमल साबगिर बल्द नंदसिंह व सम्पत बल्द गैंदा बहिस्सा बराबर लटूर बल्द मवासी दाताराम बल्द अमोला छत्तर बल्द गंगोले गुटरीया बल्द सीरदारी बुद्या बल्द गुठल बहिस्सा बराबर अकबाम जाट व जमीदारान के काश्तकारान बीसो बीस्वे गांव साकिनरन देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

इसके विपरीत वकील गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 0.38 है0, 607 रकबा 0.05 है0, 618 रकबा 0.10 है0, 718 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी केशव पुत्र बाबू हि0 1/40, खुशीराम पुत्र किशोर हि0 3/14, दिगम्बर पुत्र राजसिंह हि0 1/42, प्रताप पुत्र किशोर हि0 1/7, प्रियंका पुत्री राजसिंह हि0 1/42, पिंकी पुत्री राजसिंह हि0 1/42, मुंशी पुत्र भगवत हि0 1/8, माया पत्नि बाबू हि0 1/40, रतनसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48, रवि पुत्र राजसिंह हि0 1/42, रामवीरी पुत्री बाबू हि0 1/40, लक्ष्मी पुत्री राजसिंह हि0 1/42, विशम्बरदास पुत्र स्वरूप हि0 1/24, वीरवती पुत्री राजसिंह हि0 1/42, शेरसिंह पुत्र बाबू हि0 1/40, सन्तो पुत्री बाबू हि0 1/40, सुमेरसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 1036 दिनांक 23.07.2024 विरासत – खुशीराम पुत्र किशोर के स्थान पर अशोक पुत्र खुशीराम, कमलेश पत्नि खुशीराम, दीपा पुत्री अशोक, धर्मेन्द्र पुत्र खुशीराम, धीरज पुत्र खुशीराम, निर्मला पुत्री खुशीराम, मनोज पुत्र खुशीराम, राजकुमारी पुत्री खुशीराम, विनिता पुत्री खुशीराम, सुनीता पुत्री खुशीराम, सोनम पुत्री अशोक, हेमलता पुत्री खुशीराम के नाम नामान्तकरण प्रकीयाधीन दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 531 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी खुशीराम पुत्र किशोर हि0 3/7, दिगम्बर पुत्र राजसिंह हि0 1/21, प्रताप पुत्र किशोर हि0 2/7, प्रियंका पुत्री राजसिंह हि0 1/21, पिंकी पुत्री राजसिंह हि0 1/21, रवि पुत्र राजसिंह हि0 1/21, लक्ष्मी पुत्री राजसिंह हि0 1/21, वीरवती पुत्री राजसिंह हि0 1/21 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 1036 दिनांक 23.07. 2024 विरासत – खुशीराम पुत्र किशोर के स्थान पर अशोक पुत्र खुशीराम, कमलेश पत्नि खुशीराम, दीपा पुत्री अशोक, धर्मेन्द्र पुत्र खुशीराम, धीरज पुत्र खुशीराम, निर्मला पुत्री खुशीराम, मनोज पुत्र खुशीराम, राजकुमारी पुत्री खुशीराम, विनिता पुत्री खुशीराम, सुनीता पुत्री खुशीराम, सोनम पुत्री अशोक, हेमलता पुत्री खुशीराम के नाम नामान्तकरण प्रकीयाधीन दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 250 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी ओमप्रकाश पुत्र खेमचन्द हि0 1/18, गीता पुत्री खेमचन्द हि0 1/18, भगवत पुत्र धुरसे हि0 1/3, रामअवतार पुत्र खेमचन्द हि0 1/18, लट्‌टे पुत्र धुरसे हि0 1/3, लीलावती पुत्री खेमचन्द हि0 1/18,सुशीला पुत्री खेमचन्द हि0 1/18, जाति ब्राहम्ण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 259 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी केशव पुत्र बाबू हि0 1/10,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

मुंशी पुत्र भगवत हि0 1/2, माया पत्नि बाबू हि0 1/10, रामवीरी पुत्री बाबू हि0 1/10, शेरसिंह पुत्र बाबू हि0 1/10, सन्तो पुत्री बाबू हि0 1/10, जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 998/1795 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी राजेश कुमार शर्मा पुत्र सियाराम शर्मा हि0 1/2, बृजेश कुमार शर्मा पुत्र सियाराम शर्मा हि0 1/2 जाति जांगिड ब्राहम्ण सा0 खातीपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.08 है0, 28 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी अशोक पुत्र महादेवा हि0 1/336, केदार पुत्र मोतीलाल हि0 17/840, केशव पुत्र बाबू हि0 1/40, केसूली पुत्री खरगी हि0 1/16, गया पुत्र खरगी हि0 1/16, गोपालसिंह पुत्र रामाधार हि0 1/576, चन्दर पुत्र मोतीलाल हि0 17/840, चिरौंजी पत्नि मोतीलाल हि0 1/84, छमेन्द्री पुत्री रामाधार हि0 1/576, जगदीश पुत्र महादेवा हि0 1/336, देशराज पुत्र मोतीलाल हि0 17/840, प्रेमसिंह पुत्र सिकन्दर हि0. 1/16, प्रहलादसिंह पुत्र कलावती हि0 1/216, बनवारी पुत्र महादेवा हि0 1/336, मुकेश पुत्र मोतीलाल हि0 17/840, मछला पुत्री महादेवा हि0 1/336, मन्ती पुत्री मोतीलाल हि0 1/84, मुन्नी पुत्री रामाधार हि0 1/576, मुनेश पुत्री रामाधार हि0 1/576, मुंशी पुत्र भगवत हि0 1/8, महादेवा पुत्र भूरीसिंह हि0 1/72, माया पत्नि बाबू हि0 1/40, रतनसिंह पुत्र रामस्वरूप हि0 1/16, रतनसिंह पुत्र स्वरूप हि0 1/24, रामवीरी पुत्री बाबू हि0 1/40, रामाधार पुत्र भूरसिंह हि0 1/48, लक्ष्मी पुत्री महादेवा हि0 1/336, वल्लू पुत्र रूग्घी हि0 1/24, विमलादेवी पुत्री कलावती हि0 1/216, विशम्बरदास पुत्र स्वरूप हि0 1/24, शकुन्तला पुत्री महादेवा हि0 1/336, श्यामवती पुत्री रामाधार हि0 1/576, शेरसिंह पुत्र बाबू हि0 1/40, शिवसिंह पुत्र रामाधार हि0 1/576, सुखदेई पत्नि महादेवा हि0 1/336, सन्तो पुत्री बाबू हि0 1/40, सन्तोष पुत्री रामाधार हि0 1/576, सुमेरसिंह पुत्र रामस्वरूप हि0 1/16, सुमेरसिंह पुत्र स्वरूप हि0 1/24, सुमित्रादेवी पुत्री कलावती हि0 1/216, सुवालाल पुत्र मोतीलाल हि0 17/840, सुशीला पत्नि स्व0 रामाधार हि0 1/576, हीरालाल पुत्र सिकन्दर हि0 1/16 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 91 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी केशव पुत्र बाबू हि0 1/40, भगवानसिंह पुत्र श्रीलाल हि0 1/6, मुंशी पुत्र भगवत हि0 1/8, माया पत्नि बाबू हि0 1/40, रतनसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48, रमेशचन्द पुत्र श्रीलाल हि0 1/6, रामवीरी पुत्री बाबू हि0 1/40, विशम्बरदास पुत्र स्वरूप हि0 1/24, शेरसिंह पुत्र बाबू हि0 1/40, सन्तो पुत्री बाबू

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हि0 1/40, समयसिंह पुत्र श्रीलाल हि0 1/6, सुमेरसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 550 रकबा 0.15 है0, 567 रकबा 0.13 है0, 568 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी अशोक पुत्र महादेवा हि0 1/864, आशा पुत्री पिण्डू हि0 1/120, इमरत पुत्र रघुवीर हि0 1/15, ओमवती पुत्री पिण्डू हि0 1/120, केदार पुत्र मोतीलाल हि0 1/228, कमलादेवी पत्नि स्व0 रतन हि0 1/60, कुलदीपसिंह पुत्र रतन हि0 1/60, कल्याण पुत्र भंवर हि0 1/3, केसूली पुत्री खरगी हि0 1/144, गुड्डी पुत्री पिण्डू हि0 1/120, गया पुत्री खरगी हि0 1/48, घन्टोली पुत्र रघुवीर हि0 1/15, चन्दर पुत्र मोतीलाल हि0 1/288, चिरौंजी पत्नि मोतीलाल हि0 1/144, जगदीश पुत्र महादेवा हि0 1/864, जगदीश पुत्र रघुवीर हि0 1/15, जीतेन्द्रसिंह पुत्र पिण्डू हि0 1/120, देशराज पुत्र मोतीलाल हि0 1/288, पूजा पुत्री रतन हि0 1/60, प्रदीपसिंह पुत्र रतन हि0 1/60, प्रेमसिंह पुत्र सिकन्दर हि0. 1/72, प्रहलादसिंह पुत्र कलावती हि0 1/2592, फूलवती पत्नि पिण्डू हि0 1/120, बच्चूसिंह पुत्र पिण्डू हि0 1/120, बनवारी पुत्र महादेवा हि0 1/864, भरोसी पुत्र सम्पत हि0 1/12, मुकेश पुत्र मोतीलाल हि0 1/288, मछला पुत्री महादेवा हि0 1/864, मन्ती पुत्री मोतीलाल हि0 1/288, मिथुनसिंह पुत्र पिण्डू हि0 1/120, रतनसिंह पुत्र रामस्वरूप हि0 1/72, रतनसिंह पुत्र स्वरूप हि0 1/108, रमन पुत्र रघुवीर हि0 1/15, रामाधार पुत्र भूरसिंह हि0 1/108, लक्ष्मी पुत्री महादेवा हि0 1/864, लक्ष्मी पुत्री रतन हि0 1/60, विमलादेवी पुत्री कलावती हि0 1/2592, विल्ला पुत्री पिण्डू हि0 1/120, विशम्बरदास पुत्र स्वरूप हि0 1/108, शकुन्तला पुत्री महादेवा हि0 1/864, सुखदेई पत्नि महादेवा हि0 1/864, सुमेरसिंह पुत्र रामस्वरूप हि0 1/72, सुमेरसिंह पुत्र स्वरूप हि0 1/108, सुमित्रादेवी पुत्री कलावती हि0 1/2592, सुवालाल पुत्र मोतीलाल हि0 1/288, हीरालाल पुत्र सिकन्दर हि0 1/72 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 533 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ की खातेदारी खुशीराम पुत्र किशोर हि0 3/14, दिगम्बर पुत्र राजसिंह हि0 1/42, प्रकाश पुत्र गणेशी हि0 1/16, प्रताप पुत्र किशोर हि0 1/7, प्रियंका पुत्री राजसिंह हि0 1/42, पिंकी पुत्री राजसिंह हि0 1/42, रतनसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48, रमेश पुत्र गणेशी हि0 1/16, रवि पुत्र राजसिंह हि0 1/42, रोशन पुत्र गणेशी हि0 1/16, लक्ष्मी पुत्री राजसिंह हि0 1/42,बलवीर पुत्र गणेशी हि01/16, विशम्बरदास पुत्र स्वरूप हि0 1/24, वीरवती पत्नि स्व0 राजसिंह हि0 1/42, सुमेरसिंह पुत्र स्वरूप हि0 5/48 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 14, 21, 28, 91, 250, 259, 522, 531, 533, 550, 567, 568, 607, 618,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

718, 890, 998/1795 वाके ग्राम चिनायटा सेटिलमेन्ट से पूर्व सायलान के बाबा आराम के नाम खातेदारी में दर्ज रही है। जिनकी खातेदारी गैरसायलान के नाम किस आधार पर राजस्व रिकार्ड में तब्दील हुई है, इस तथ्य के बाबत् दावा में विचारनीय है। सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। दावा के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे कि पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात के बाबत् और विवाद नहीं बढे। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 14, 21, 28, 91, 250, 259, 522, 531, 533, 550, 567, 568, 607, 618, 718, 890, 998/1795 वाके ग्राम चिनायटा तहसील सूरौठ के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक ....14/8/15.... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौनसिटी (करौली)